भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1449

10 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय:- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत दावों का निपटान

1449. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत कुल कितने दावे लंबित हैं;

(ख) बीमा की राशि का भुगतान करने में चूक करने वाली बीमा कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, और प्रत्येक द्वारा चूक की गई राशि कितनी-कितनी है;

(ग) भुगतान करने में चूकने वाली बीमा कंपनियों के विरुद्ध अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विगत चार वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत दावों के निपटान में वर्ष-वार औसत विलम्ब कितना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत स्वीकार्य दावों का भुगतान आम तौर पर संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई)/फसल कटाई अवधि के पूरा होने के दो महीनों और बाधित बुवाई, मध्य-मौसम प्रतिकूलता और फसलोपरांत नुकसान के जोखिम/खतरों की अधिसूचना के एक महीने के भीतर किया जाता है जो निर्धारित समय के भीतर संबंधित सरकार से प्रीमियम सब्सिडी के कुल हिस्से की प्राप्ति के अध्यधीन होता है। तथापि, उपज डेटा के देरी से हस्तांतरण होने और कुछ राज्य सरकारों द्वारा बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी में उनके हिस्से को देर से जारी करना, बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच उपज संबंधी विवाद, पात्र किसानों के बैंक खाते में दावों के अंतरण के लिए कुछ किसानों के खाते का विवरण प्राप्ति न होना और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) से संबंधित मुद्दों, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर व्यक्तिगत किसान डेटा की गलत/अपूर्ण प्रविष्टि, संबंधित बीमा कंपनी को किसानों के प्रीमियम के हिस्से के प्रेषण में

देरी/प्रेषण न किया जाना आदि जैसे कारणों की वजह से कुछ राज्यों में कुछ दावों के निपटान में विलंब हुआ है।

2016-17 से 2020-21 तक लंबित दावों का कंपनी-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध** में है।

यह विभाग नियमित रूप से पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है जिसमें हितधारकों से साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दावों का समय पर निपटान, बीमा कंपनियों/राज्यों के साथ आमने-सामने बैठक आदि शामिल हैं। इसके अलावा, बीमा कंपनियों द्वारा दावों के देरी से निपटान और राज्य सरकारों द्वारा देरी से निधियों की निर्मुक्ति के लिए दंड का प्रावधान भी इस योजना के संशोधित/पुर्नोत्थान प्रचालन दिशानिर्देशों में किया गया है। राज्य सरकार से अंतिम उपज डेटा प्राप्त होने और फसल क्षति सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से पीएमएफबीवाई दिशानिर्देशों में निर्धारित अवधि के बाद भुगतान किए जाने पर किसानों को प्रति वर्ष 12% की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा। तदनुसार राज्य सरकारों से जुर्माने के पूर्वोक्त प्रावधान का पालन करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि प्रासंगिक आंकड़े संबंधित राज्य सरकार के पास उपलब्ध रहते हैं।

इसके अलावा, यह विभाग दावों के शीघ्र निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और योजना के तहत पात्र किसानों को समय पर और पर्याप्त लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श से इन योजनाओं की नियमित समीक्षा कर रहा है।

अनुबंध

2016-17 से 2020-21 तक लम्बित रहने के कारण सहित पीएमएफबीवाई के तहत 03.12.2021 तक बकाया दावों का बीमा कंपनी-वार विवरण

बीमा कंपनी का नाम	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	रिपोर्ट किए गए दावों के अनुसार बकाया दावे	राज्य सब्सिडी के कारण लंबित दावे
	रूपए करोड़			
एआईसी	38,393.7	37,201.1	1,192.6	894.5
बजाज आलियांज	6,627.7	6,529.9	97.8	97.7
भारती एक्सा	819.5	664.0	155.5	143.1
चोला एमएस	1,330.9	1,330.9	-	-
फ्यूचर जेनरली	1,121.6	1,104.0	17.6	-
एचडीएफसी एर्गो	7,177.8	7,072.6	105.2	87.6
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	7,379.2	7,379.0	0.2	-
इफको टोकियो	5,726.4	5,081.4	645.0	645.0
नेशनल	2,913.4	2,558.8	354.6	332.2
न्यू इंडिया	6,473.7	6,452.4	21.3	-
ओरिएंटल	6,548.4	6,209.6	338.9	218.1
रिलायंस जनरल	4,512.2	4,381.7	130.5	130.5
रॉयल सुंदरम	488.8	488.4	0.3	-
एसबीआई जनरल	5,696.0	5,548.1	147.9	101.6
श्रीराम जनरल	257.0	257.0	-	-
टाटा एआईजी	2,470.7	2,470.7	-	-
यूनाइटेड इंडिया	4,321.7	4,306.1	15.6	13.7
यूनिवर्सल सोम्पो	3,167.5	3,009.4	158.1	158.1
सकल योग	1,05,426.2	1,02,045.0	3,381.1	2,822.1

****